भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †321

सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप

†321. श्री नवीन जिंदलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) "भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप" के कार्यान्वयन, विशेषकर होमस्टे संबंधी दिशानिर्देश बनाने और स्थानीय जनजातीय समुदायों की भागीदारी के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सामुदायिक लाभ और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करते हुए वन्यजीव अभयारण्यों के विकास सहित पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में "हरित और पारि-पर्यटन" को बढ़ावा देने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है/सुनिश्चित कर रही है कि चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) योजना के अंतर्गत नई पर्यटन परियोजनाओं में अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल रिकवरी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग जैसे संधारणीयता संबंधी कड़े मानदंडों का पालन किया जाए?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जेयूजीए) के अंतर्गत 'जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास' (स्वदेश दर्शन योजना की एक उप-योजना) के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु दिशा-निर्देश और टेम्पलेट जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे विकसित करके उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देना

और जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। दिशा-निर्देशों में होमस्टे मालिकों के तकनीकी कौशल विकास और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है। इस पहल में ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये तक, प्रत्येक परिवार के लिए दो नए कमरों के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये तक और मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करते हुए, 1000 होमस्टे का विकास शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने और पर्यटन स्थलों को स्थायी और उत्तरदायी स्थलों में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' नामक एक उप योजना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। सतत कार्यकलापों के हिस्से के रूप में, ग्रामीण होमस्टे और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर प्रचार के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण पर्यटन स्थलों और उत्पादों का भी नियमित रूप से संवर्धन करता है।

देश में हरित और पारिस्थितिकी-पर्यटन के विकास को गति प्रदान करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने पारिस्थितिकी-पर्यटन और स्थायी पर्यटन हेतु राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने के साथ-साथ 'ट्रैवल फॉर लाइफ' कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि देश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यटकों तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्थायी पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

****